बिल का सारांश

झारखंड एडवोकेट कल्याण कोष (संशोधन) बिल, 2023

- झारखंड एडवोकेट कल्याण कोष (संशोधन) बिल, 2023 को 2 अगस्त 2023 को झारखंड विधानसभा में पेश किया गया। यह झारखंड एडवोकेट्स कल्याण कोष एक्ट, 2012 में संशोधन करता है। यह एक्ट राज्य में वकीलों के लिए एक कल्याण कोष का गठन करता है।
- **वकालतनामा और एफिडेविट्स पर स्टाम्प**: एक्ट के तहत, प्रत्येक वकालतनामा या एफिडेविट पर 15 रुपए मूल्य का वेल्फेयर स्टाम्प लगाया जाना चाहिए। बिल वेल्फेयर स्टाम्प की कीमत को बढ़ाकर 30 रुपए करता है। वकालतनामा एक ऐसा दस्तावेज होता है जो एक वकील को किसी भी अदालत में मुवक्किल की तरफ से उपस्थित होने या पैरवी करने का अधिकार देता है।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

अलाया पूरेवाल
alaya@prsindia.org

30 अगस्त, 2023